



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय,
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द (छत्तीसगढ़)



Phone/ Fax No. : (07706) 241380, Email Address : govcollege_gariaband@hotmail.com

क्रमांक / / स्था. / 2017

गरियाबन्द, दिनांक 30/08/2017

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
इन्दावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना।

संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नया रायपुर का ओदश क्र/एफ.
1-26/2017/38-1 नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017.

—00—

उपरोक्त संदर्भित आदेशानुसार श्री नीलाम्बर पटेल सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)
इस महाविद्यालय में आज दिनांक 30/08/2017 को ~~स्नात~~ में अपना कार्यभार ग्रहण कर
लिया गया है।

प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(डॉ. टी.एस.सोनवानी)
प्राचार्य

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नात. महाविद्यालय,
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द (छ.ग.)
गरियाबन्द, दिनांक 30/08/2017

पृ.क्रमांक / 1087 / स्था. / 2017
प्रतिलिपि :-

- (1) विशेष सहायक माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
- (2) अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर उनके संदर्भित आदेश के तारतम्य में सूचनार्थ।
- (3) कलेक्टर जिला-गरियाबन्द, छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- (4) महालेखाकार छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (6) कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय गरियाबन्द की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (7) संबंधित श्री नीलाम्बर पटेल सहा.प्रा. (अर्थशास्त्र) शास.वीर सुरेन्द्रसाय स्नात. महाविद्यालय, गरियाबन्द।
- (8) स्थापना/लेखा शाखा शास.वीर सुरेन्द्रसाय स्नात.महाविद्यालय, गरियाबन्द।
- (9) व्यक्तिगत नस्ती।

(डॉ. टी.एस.सोनवानी)
प्राचार्य

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नात. महाविद्यालय,
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द (छत्तीसगढ़)

Phone/ Fax No. : (07706) 241380, Email Address : govcollege_gariaband@hotmail.com



क्रमांक / / स्था. / 2017

गरियाबन्द, दिनांक 06/09/2017

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
इन्दावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना।

संदर्भ :- संयुक्त सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर का आदेश क्र./एफ.1-28/2017/38-1 नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017.

—00—

उपरोक्त संदर्भित आदेशानुसार श्री चन्द्रभान पटेल सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) के पद पर इस महाविद्यालय में आज दिनांक 06/09/2017 को पूर्वान्हः में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(डॉ. टी.एस.सोनवानी)
प्राचार्य

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1093 / स्था. / 2017
प्रतिलिपि :-

गरियाबन्द, दिनांक 06/09/2017

- (1) विशेष सहायक मा.मंत्री जी, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
- (2) अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर उनके संदर्भित आदेश के तारतम्य में सूचनार्थ।
- (3) कलेक्टर जिला-गरियाबन्द, (छ.ग.) को ओर सादर सूचनार्थ।
- (4) महालेखाकार छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) संयुक्त सचालक कोष, लेखा एवं पेंशन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (6) कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय गरियाबंद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (7) संबंधित श्री चन्द्रभान पटेल, सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शास.वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गरियाबंद।
- (6) स्थापना/लेखा शाखा शास.वीर सुरेन्द्रसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गरियाबंद।
- (7) व्यक्तिगत नस्ती।

(डॉ. टी.एस.सोनवानी)
प्राचार्य

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द (छत्तीसगढ़)



Phone/ Fax No. : (07706) 241380, Email Address : govtcollege_gariaband@hotmail.com

क्रमांक / / स्था. / 2017

गरियाबन्द, दिनांक 13/09/2017

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
इन्दावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना।

संदर्भ :- संयुक्त सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर का आदेश क्र./एफ.1-27/2017/38-1 नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017.

—00—

उपरोक्त संदर्भित आदेशानुसार श्री गौतम कुमार कुर्रे सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) के पद पर इस महाविद्यालय में आज दिनांक 13/09/2017 को पूर्वान्हः में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(डॉ. टी.एस.सोनवानी)

प्र.प्राचार्य

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द (छ.ग.)

गरियाबन्द, दिनांक 13/09/2017

पू.क्रमांक / ...1123/ स्था. / 2017
प्रतिलिपि :-

- (1) विशेष सहायक मा.मंत्री जी, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
- (2) अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर उनके संदर्भित आदेश के तारतम्य में सूचनार्थ।
- (3) कलेक्टर जिला-गरियाबन्द, (छ.ग.) को ओर सादर सूचनार्थ।
- (4) महालेखाकार छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (6) कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय गरियाबन्द (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (7) संबंधित श्री गौतम कुमार कुर्रे, सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) शास.वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गरियाबन्द (छ.ग.)
- (8) स्थापना/लेखा शाखा शास.वीर सुरेन्द्रसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गरियाबन्द (छ.ग.)।
- ✓ (9) व्यक्तिगत नस्ती।

(डॉ. टी.एस.सोनवानी)

प्र.प्राचार्य

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द (छत्तीसगढ़)

Phone/ Fax No. : (07706) 241380, Email Address : govtcollege_gariaband@hotmail.com



क्रमांक / / स्था. / 2017

गरियाबन्द, दिनांक 13/09/2017

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
इन्दावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कार्यभार ग्रहण करने की सूचना।

संदर्भ :- संयुक्त सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर का आदेश क्र./एफ.1-34/2017/38-1 नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017.

—00—

उपरोक्त संदर्भित आदेशानुसार श्री युगल किशोर पटेल, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद पर इस महाविद्यालय में आज दिनांक 13/09/2017 को अपरान्हः में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(डॉ. टी.एस.सोनवानी)
प्र.प्राचार्य

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द (छ.ग.)
गरियाबन्द, दिनांक 13/09/2017

पृ क्रमांक / 1105 / स्था. / 2017
प्रतिलिपि :-

- (1) विशेष सहायक मा.मंत्री जी, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
- (2) अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर उनके संदर्भित आदेश के तारतम्य में सूचनार्थ।
- (3) कलेक्टर जिला-गरियाबन्द, (छ.ग.) को ओर सादर सूचनार्थ।
- (4) महालेखाकार छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (6) कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय गरियाबन्द (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (7) संबंधित श्री युगल किशोर पटेल, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शास.वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गरियाबन्द (छ.ग.)
- (8) स्थापना/लेखा शाखा शास.वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गरियाबन्द (छ.ग.)।
- (9) व्यक्तिगत नस्ती।

(डॉ. टी.एस.सोनवानी)
प्र.प्राचार्य

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

Website - govtcollegegariaband.in दूरभाष क्रमांक : (07706) 241380 ई-मेल govtcollege_gariaband@hotmail.com

क्रमांक / / स्था. / 2019

गरियाबंद, दिनांक ----/ 08 /2019

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी .30 द्वितीय एवं
तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

विषय :- श्री संतकुमार बंजारे सहायक प्राध्यापक (भूगोल) कार्यभार ग्रहण करने संबंधी जानकारी का प्रेषण बाबत।

संदर्भ :- छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के आदेश क्रमांक एफ.1-46/2012/38-1 अटल नगर दिनांक 05/07/2019

—00—

उपरोक्त संदर्भित आदेश के परिपालन में श्री संतकुमार बंजारे सहायक प्राध्यापक (भूगोल) द्वारा, दिनांक 09/07/2019 को पूर्वान्हः इस महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति दे दी है।
अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।

(डॉ.ए.आर.सी.जेम्स)

प्राचार्य

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

गरियाबंद, दिनांक 26/08/2019

पृ.क्रमांक / 214 / स्था. / 2019

प्रतिलिपि :-

- 1 अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2 विशेष सहायक माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन की ओर सूचनार्थ।
- 3 महालेखाकार छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- 4 कलेक्टर, जिला गरियाबंद की ओर सूचनार्थ।
- 5 जिला कोषालय अधिकारी गरियाबंद, जिला -गरियाबंद की ओर सूचनार्थ।
- 6 संबंधित श्री संतकुमार बंजारे सहा.प्राध्यापक (भूगोल) की ओर सूचनार्थ।
- 7 लेखा /स्थापना शाखा शास. वीर सुरेन्द्रसाय स्नात.महा.गरियाबंद
- 8 व्यक्तिगत नस्ति।

A.R. James
(डॉ.ए.आर.सी.जेम्स)

प्राचार्य

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छत्तीसगढ़)



Website - www.govtpgcollegegariaband.in दूरभाष क्रमांक : (07706) 241380 ई-मेल govtcollege_gariaband@hotmail.com

क्रमांक / 295 / स्था. / 2018

गरियाबन्द, दिनांक 04 / 10 / 2018


प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की सूचना।
संदर्भ :- संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का
आदेश क्र. एफ-1-15/2018/38-1, अलट नगर रायपुर दिनांक 01/10/2018.

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्र के आदेशानुसार श्री छन्नु लाल तारक, सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
इस महाविद्यालय में आज दिनांक 04/10/2018 को पूर्वान्हः में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।
अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित है।


(डॉ. ए.आर.सी.जेम्स)
प्राचार्य,

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

गरियाबन्द, दिनांक 04 / 10 / 2018

पृ.क्रमांक / 296 / स्था. / 2018

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सचिव, मा. मंत्री जी छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. महालेखाकार छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
6. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय गरियाबंद/देवभोग की ओर सादर सूचनार्थ।
7. प्राचार्य, शास. पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय देवभोग, जिला गरियाबंद (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
8. संबंधित अधिकारी, श्री छन्नु लाल तारक, सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गरियाबंद (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
9. लेखा/स्थापना शाखा, शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गरियाबंद।
10. व्यक्तिगत नस्ती।




(डॉ. ए.आर.सी.जेम्स)
प्राचार्य,

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द (छत्तीसगढ़)



दूरभाष क्रमांक : (07706) 241380 ई-मेल : govcollege_garlaband@hotmail.com

क्रमांक / / स्था. / 2018

गरियाबन्द, दिनांक / 07 / 2018

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- स्नातकोत्तर प्राचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने की सूचना।

संदर्भ :- अवर सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का आदेश क्र.
एफ-1-49/2017/38-1 नया रायपुर दिनांक 05/06/2018

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्र के आदेशानुसार डॉ.अल्फा रेखा सी जेम्स, इस महाविद्यालय में आज दिनांक 04/07/2018 को पूर्वान्हः में स्नातकोत्तर प्राचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण कर ली हैं।
अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

(डॉ.ए.आर.सी.जेम्स)

प्राचार्य,

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द (छ.ग.)


गरियाबन्द, दिनांक 05/07/2018

पू.क्रमांक / 142 / स्था. / 2018

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सचिव, मा. मंत्री जी छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, नया रायपुर (छ.ग.)की ओर सादर सूचनार्थ।
3. महालेखाकार छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला-गरियाबन्द (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
6. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय गरियाबन्द / बिलाईगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
7. प्राचार्य, शास. शहीद वीरनारायण सिंह महाविद्यालय बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
8. संबंधित अधिकारी, डॉ. अल्फा रेखा सी जेम्स, प्राचार्य, शास.वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गरियाबन्द (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
9. डॉ.आर.के.तलवरे, प्र.प्राचार्य, शास.वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गरियाबन्द (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
10. लेखा/स्थापना शाखा, शास.वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गरियाबन्द।

✓ 11 व्यक्तिगत नस्ती।


(डॉ.ए.आर.सी.जेम्स)
प्राचार्य,

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-26/2017/38-1 : राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1035/22/चयन/2017/जे दिनांक 30.07.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपय 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपय 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री आशीष कुमार मिश्र आश्री वेदमणी मिश्र ग्राम-विहरीजपुर पो.-तिलगा, थाना गोंधोगज जिला- रात रविदास नगर भवोही उ.प्र. 221303	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सिलफिली	UR
2	तामेश्वरी साहू आश्री सरजुराम साहू ग्राम-आगेसरा, पो.अरकार तह. पाटन, अाय-सिकोसा, जिला- दुर्ग छ.ग. 491222	शासकीय बाबू छोटेला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	OBC/UR-F
3	डॉ सुरेश कुमार पटेल आश्री द्वारका प्रसाद पटेल C/O बलीराम पटेल, ग्राम दडी कोनी पा -एमआई टीआई, कोनी बिलासपुर 495009	शासकीय नवीन महाविद्यालय, तपकरा	OBC/UR
4	श्री योगेन्द्र कुमार आश्री गुलाब चंद्र, ग्राम पो धुरेठनपुर, जिला विठ्ठलपुर, उ.प्र. 210202	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	UR
5	श्री विशाल सिंह आश्री चन्द्रभान सिंह 61 डी/6 ई/1 ओम गायत्री नगर, तेलीयरगज इलाहाबाद उ.प्र. 211004	शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्टनम	UR
6	श्री विवेक कुमार जायसवाल आ. श्री राजेन्द्र प्रसाद C/O सकेश रावत, 1111/1283 पिपलवाली गली पुराना कटरा इलाहाबाद उ.प्र. 211002	शासकीय स्व श्री मइली भगत महाविद्यालय, कुसमी	UR
7	श्री नीलाम्बर पटेल आ श्री काशीराम पटेल आर्यभट्ट शांडिल्य निवास हेमन्त ज्वेलरी के सामने गरिजद रोड कोटा, रायपुर छ.ग.492010	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	OBC/ UR
8	श्री ओम प्रकाश वधेल आ श्री भाकोराम वधेल ग्राम-रसौटा पो.कोसगंठी, थाना तह. पलारी जिला- बलौदाबाजार छ.ग.493228	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी	SC/UR
9	श्रद्धा मिश्रा पति श्री रितेश मिश्रा एल 256 सेक्टर-2 पंदिनक्याल उपाध्याय नगर पारस करवकशन के पास रायपुर छ.ग. 492010	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा	UR-F

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयवधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
 12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

पृ.क्र. एफ 1-26/2017/38-1

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (8) कलेक्टर, जिला (छ.ग.)।
- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1035/22/चयन/2017/जे दिनांक 30.07.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रहित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करे।
- (11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।
- (13) संबंधित प्राचार्य, की ओर अग्रहित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कॉडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावे।
- (14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला (छ.ग.)।

(15) संबंधित सर्वश्री.....

नीलाचर पटेल

कृपया अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी

शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण पश्चात विभाग को उपलब्ध करावें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(16) आदेश फोल्डर।


अनुराग सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- ० --

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-28/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1039/22/चयन/17/B दिनांक 01.8.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुसूचित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रुपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रुपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री तरुण बैनर्जी, आ. श्री विजय बैनर्जी, प्लॉट नं. डी-9 पी.डी.नगर स्ट्रीट नं.3 विवेकानंद कालोनी धमतरी छ.ग. 493773	शास.महा. सरिया जिला रायगढ़	UR
2	श्री ऋषि कुमार चन्द्रा आ. श्री ब्रिज भूषण चन्द्रा, मु.पो.हरसौंद, क्ताया- विश जिला जांजगीर -चांपा छ.ग.495661	शास.महा. चन्द्रपुर जिला जांजगीर चांपा	OBC /UR
3	श्री योगेश्वर साहू आ.श्री.तातूराम साहू, आगापारा बालोद,छ.ग. 491226	शासकीय कंगला माडी महाविद्यालय डौंडी	OBC /UR
4	श्री असोम वाजपेयी आ.श्री गणेश वाजपेयी, सुभाष वार्ड मुंगेती छ.ग. 495334	शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़	UR
5	श्री यश कुमार आ.श्री राजाराम उगाराव, रुमनं.4 पं.द्वजनाथ हॉस्टल बनारस हिन्दु विश्व विद्यालय, वाराणसी उ.प्र 221005	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल	UR
6	श्री रामकिशोर यादव आ.श्री राधेश्याम यादव, उमा निवास एकला कालोनी प्रगतिनगर मोवा रायपुर छ.ग.	शासकीय महाविद्यालय, भखारा	OBC /UR
7	श्री संजय सप्तऋषि आ.श्री चन्द्रशेखर सप्तऋषि, बी 4/17 हनुमानघाट वाराणसी,उ.प्र. 221001	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	UR
8	श्री अतुल कुमार वर्मा आ.श्री प्रदीप कुमार,ग्राम-जगनपुर,पो.हुरीनपुर सुधाना, तह. तांडा,जिला-अम्बेडकर नगर उ.प्र. 224190	शासकीय महाविद्यालय, जनकपुर जिला कोरिया	UR
9	श्री सुधीर कुमार अग्रहरी आ.श्री केशव प्रसाद अग्रहरी, 79 जी.टी.रोड गोपीगंज, भदोही उ.प्र. 221303	शास.महा. कटेकल्याण जिला दन्तेवाड़ा	UR
10	श्री चन्द्रमान पटेल आ. श्री मधुसूदन पटेल, ग्राम-दर्रा, गाढा,पो.मुड़पार,तह. भरतपुरी,जिला-दिलारापुर छ.ग. 495550	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	OBC /UR

8

M -

B-7

	श्री. गान्धु कुमार धुव आ. श्री के.एस. धुव पीली रुडिंग के पीछे सुई सुतार भवन के पास कुम्हार पास फाफाडीह रायपुर छ.ग. 492010	शास.महा. खशोरा जिला रायपुर	ST
	श्री उपेन्द्र कुमार बरिहा आ. श्री मकरभुवज बरिहा, मु.पो.कलेण्डा शिपोडा, ब्यामा सराईपाली,जिला महासमुद्र छ.ग. 493568	शासकीय स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय, सरायपाली	ST
44	श्रीमती तुलसी पैकरा पति श्री मोहन लाल पैकरा, कसडोल नगर पंचायत वार्ड क. 5 सिरपुर रोड,जिला- बलौदावाजार छ.ग. 493335	शासकीय वृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी	ST-F
45	श्री मनोहर कुजूर आ.स्व.श्री.निरत्तार कुजूर,ग्राम सईपाठ महुआटोली, पो.-घोलेंग,तह. जिला-जशपुर छ.ग. 496338	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग	ST
46	विजय लक्ष्मी देवांगन आ. श्री संतोष कुमार देवांगन, ग्राम व पो. देवरबीजा, तह. देरला,जिला-वेमेटरा छ.ग.491993	शासकीय स्व. देवीप्रसाद चौबे महाविद्यालय, साजा	OBC-F
47	निलिगा आण्डित्य आ. स्व.श्री जगमोहन सिंह आण्डित्य कन्या आश्रम पाली, तह-कटघोरा, जिला- कोरदा छ.ग. 495449	शासकीय महाविद्यालय, बरपाली	ST-F
48	श्री योगेन्द्र कुमार धुर्वे आ. श्री भोज राम धुर्वे, ग्राम अकोला,पो.तह.डौडी जिला-बालोद छ.ग. 491228	शासकीय महाविद्यालय, गुरुर	ST
49	श्री दीपक एक्का आ.श्री.शोभन एक्का,नगर पंचायत लखनपुर जिला सरगुजा छ.ग. 497116	शासकीय लाहिडी महाविद्यालय, चिरमिरी	ST
50	श्री सुरेन्द्र कुमार तिग्गा आ.श्री.हजारी लाल तिग्गा, आ.क.10 सृष्टि विहार गहर्षि स्कूल रोड मंगला विलासपुर छ.ग. 496001	शासकीय महाविद्यालय, पंखाचूर जिला कांकेर	ST

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरान्त यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दायेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नाम ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला विकित्तालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. अरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियुक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरान्त उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई

कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियुक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति का अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारीयां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपरिधति के समय नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपरिधत होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुरंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
 8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
 9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1978 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
 10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
 11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
 12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भुवनेश यादव)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

पृ.क्र. एफ 1-28/2017/38-1

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) सहायक आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (8) पत्रकार, जिला _____ (छ.ग.)।
- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1039/22/सभ/12/13 दिनांक 01.8.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (10) आयुक्त, जनशामक, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, विलासपुर/अबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।
- (13) संबंधित प्राचार्य, _____ की ओर अग्रेषित कर निर्दिष्ट किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कड़िका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अत्यंत को कार्यभार ग्रहण करावें।
- (14) जिला बोधालय अधिकारी, जिला _____ (छ.ग.)।
- (15) संबंधित सर्वश्री _____
- _____ कृपया अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण पश्चात विभाग को उपलब्ध करावें।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (16) आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

B-6

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा

ब्लॉक -3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

e-Mail : highereducation.cg@gmail.com, Website : highereducation.cg.gov.in

नया रायपुर दिनांक 10/1/18

12/18 / आउशि / राज.स्था. / 2017



प्रति,

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
..... जिला- (छ.ग.)

विषय :- वेतन व्यवस्था के संबंध में।

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत के संबंध में लेख है कि निम्नलिखित प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के वेतन राज्य में प्राचार्य/प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत संवर्ग के निम्न शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आगामी आदेश तक आहरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र	सहायक प्राध्यापक/प्राध्यापक का नाम एवं महाविद्यालय का नाम	वेतन आहरण हेतु पद एवं महाविद्यालय का नाम
1	श्रीमती निधि देवांगन, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर	शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर में रिक्त प्राध्यापक गणित के पद से
2	अर्पणा गौतम, सहायक प्राध्यापक हिन्दी, शासकीय ई. राघवेन्द्र राव पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय विलासपुर	शासकीय महाविद्यालय कोतरी, जिला-मुंगेली में रिक्त प्राचार्य के पद से
3	कल्पना कवर, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय बरपाली	शासकीय महाविद्यालय बरपाली में रिक्त प्राध्यापक वाणिज्य के पद से
5	डॉ. मदनमोहन जोशी, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय कटघोरा	शासकीय महाविद्यालय कटघोरा में रिक्त सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र के पद से
4	श्री गौतम कुमार कुर्रे, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय वीर सुरेन्द्र साय पी.जी. महाविद्यालय गरियावंद	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय पी.जी. महाविद्यालय गरियावंद में रिक्त ग्रंथपाल के पद से
6	डॉ. एस.पी. भारद्वाज, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय एम.एम.आर. पी.जी. महाविद्यालय चापा	शासकीय एम.एम.आर. पी.जी. महाविद्यालय चापा में रिक्त प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पद से
7	श्री शरद चंद मिश्रा, सहायक प्राध्यापक समाशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा	शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा में रिक्त प्राध्यापक समाजशास्त्र के पद से
8	श्री रजनीश यादव, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया	शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया में रिक्त ग्रंथपाल के पद से
9	प्रा. अश्वनी कुमार केशरवानी, सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय दीपका	शासकीय महाविद्यालय करतला, जिला-कोरबा में रिक्त प्राचार्य के पद से

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

H/C
11.1.18

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर


18050

1/2/1

पृ. क्रमांक 802/1288/आउशि/राज.स्था./2017
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर दिनांक 10/1/18

1. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय जिला -
2. संबंधित अधिकारी को सूचनाार्थ प्रेषित।
(छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर सचालक (विस्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर

e/c

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-27/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1037/22/चयन/17/O दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री सुशील कुमार गुप्ता आ.स्व श्री उमाशंकरगुप्ता, म.न. 426 वार्ड नं. 2 तुलसीनगर कोरबा छ.ग. 495677	शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा	UR
2	स्नेहा थवायत आ. श्री सत्येन्द्र कुमार चौरसिया, कोआपरेटिव बैंक के पीछे, गांधी चौक जांजगीर, जिला-जांजगीरचांपा छ.ग. 495668	शासकीय महाविद्यालय, नवागढ़ जिला जांजगीर	OBC/ UR-F
3	श्री तिलक चन्द्र देवांगन आ.श्री पूरन सिंह देवांगन, ग्राम-सम्बलपुर, पो.बमनीबाजार जिला कोण्डागांव, छ.ग. 494226	नवीन शासकीय महाविद्यालय, तोकापाल	OBC/ UR
4	श्री मुकेश कुमार कामले आ.श्री पंचराम कामले, सहायक जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल, जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग. 494001	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा	SC/ UR
5	श्री तरुण कुमार पदमवार आ.उमेश सिंह पदमवार, म.क. 868 के शिवशंकर होटल के पीछे महादेवघाट चौक रायपुर छ.ग. 492013	शासकीय महाविद्यालय, धमधा	UR
6	श्री धर्मेन्द्र कन्नौजे आ.श्री.के.एन कन्नौजे, 201 जी रिसाली सेक्टर भिलाई नगर, जिला-दुर्ग छ.ग. 490006	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया	OBC/ UR
7	श्री मधुसूदन सिंह राजपूत आ. श्री जयजयराम राजपूत, ग्राम- सेमरिया, पो.साफल,तह. लोरमी,जिला मुंगेली छ.ग. 495115	शासकीय इन्दिरा गांधी महाविद्यालय पंडरिया	UR
8	श्री गौतम कुमार कुर्रे आ.श्री अनन्तु कुमार कुर्रे,मु. पो.-बिटकुली, व्हाया, तह. थाना-बिल्हा, जिला बिलासपुर छ.ग. 495224	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	SC/ UR
9	श्रीमती निधि सिंह पति श्री अरुण कुमार सिंह, हाउस क्र. 16 कालीमाई वार्ड,मुंगेली, जिला -मुंगेली छ.ग. 495334	शासकीय राजीवगांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी	UR-F

Y

M

3	प्रमीला नागवंशी पति श्री राधेलाल नागवंशी, ग्राम-छिलपावन, पो.व्हाया -झलप, थाना पटेवा, जिला-महासमुंद छ.ग. 493551	शास.चन्द्रपाल जिला महासमुंद	महा.पिथौरा	SC-F
40	मनिषा तिग्गा पति श्री राजकुमार जायसवाल, मनेन्द्रगढ़ रोड कोल्ड स्टोरेज के सामने महापौर पारा सुभाष नगर अबिकापुर, जिला- सरगुजा छ.ग.497001	शासकीय राजपुर	महाविद्यालय,	ST-F
41	दीपा सोम रावटे पति श्री भोजराम रावटे, एफ-29 रिक्टर व्यू कॉलोनी कोनी बिलासपुर छ.ग. 495009	शासकीय नयनदास महाविद्यालय, भटगांव	राजमहंत महिलांग	ST-F
42	श्री तुलेश्वर सिंह ध्रुवे आ श्री कुंजल सिंह ध्रुवे, ग्राम-हीरापुर, पो.दशरंगपुर, तह.कवर्धा जिला-कबीरधाम छ.ग.491336	शासकीय नारायण बिलाईगढ़	शहीद वीर महाविद्यालय,	ST

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग

75

लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
 9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
 10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
 11. नियुक्ति किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
 12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भुवनेश्वर सादव)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

पृ.क्र. एफ 1-27/2017/38-1

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (8) कलेक्टर, जिला (छ.ग.)।
- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1037/22/चयन/17/O दिनांक 31.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- ० --

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-34/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1032/22/चयन/17/C दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंग आ श्री रामाश्रय सिंह ग्राम रमिलिया पो सरैया नं. 1 थाना -चोलापुर जिला-वाराणसी उ.प्र. 221101	शासकीय महाविद्यालय, राजपुर जिला बलरामपुर	UR
2	श्री कमल सिन्हा आ श्री यशवंत सिन्हा क्लबपारा वार्ड 26 नहर कासिंग के पास महासमुंद छ.ग. 493445	शासकीय महाविद्यालय, तमनार	OBC /UR
3	अर्पणा गौतम आ श्री एस.एस.गौतम एस.ई.सी.एल. आफिस के सामने गणपति कार गैरेज के पास सीपत रोड सरकण्डा बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय ई. राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर	OBC /UR-F
4	श्री सनत कुमार आ स्व श्री रामा देवांगन, ग्राम पो सल्का नवागांव थाना कोटा, जिला बिलासपुर छ.ग. 495113	नवीन शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा	UR
5	श्री राजीव यादव आ श्री दशरथ यादव क्वा. 345ई ब्रह्मपुत्र छात्रावास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली 110067	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर	UR
6	नर्मता पाण्डेय आ श्री प्रवीण पाण्डेय अशोक नगर सत्या मेडिकल स्टोर के सामने गली विरकोना रोड सरकण्डा बिलासपुर 495001	शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	UR-F
7	प्रतीमा सिंह आ श्री राम सुहावन सिंह पटेलनगर चौराहा रक्षपालपुर खखरेरु फतेहपुर उ.प्र. 212656	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, वाङ्गनगर	UR-F
8	श्री दिनेश कुमार संजय आ स्व श्री गंगाराम संजय, मु.पो. चिखली थाना तह.पुसौर जिला रायगढ़ छ.ग. 496100	शास.महावि.खरसिया	SC /UR
9	श्री विनय कुमार देवांगन आ श्री कोदूराम देवांगन म.क.8 वार्ड डोंगरीपारा श्रीहनुमान मंदिर कोण्डागांव छ.ग.494226	नवीन शासकीय महाविद्यालय, फरसगांव	OBC /UR
10	पायल लिलहारे पति श्री श्याम मोहन पटेल. 398/4 बजरंग कॉलोनी रेल्वे स्टेशन के पास जबलपुर म.प्र.482001	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़	UR-F
11	विजय लक्ष्मी गौड़ पति, श्री विजेत्री विक्रम सिंह द्वारा श्री अश्विनी ठकराल मोहल्ला कानून गोयान निकट साईमंदिर अमरोहा उ.प्र. 244221	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	UR-F

५

	कामिनी पति श्री दीपक सिंग बी 22 केन्द्रा विद्यालय स्टाफ क्वार्टर डोमनहिल घिरमिरी जिला कोरिया छ.ग. 497557	शास.कन्या महा. बकुण्ठपुर	UR-F
13	श्रीमती प्रमिला पटेल पति श्री पनिक राम पटेल, ग्राम पो देवगांव तह.बरभकेला जिला रायगढ़ छ. ग.496554	शास.महा. सरिया जिला रायगढ़	OBC /UR-F
14	श्रीमती चैताली सलुजा पति श्री प्रवीण कुमार सलुजा ए/1 बालाजीपुरम कॉलोनी बसंत विहार के पास लिगियाडीह बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय जे.पी. वर्मा पी.जी. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर	UR-F
15	श्री राम आशिष तिवारी आ श्री दातादीन तिवारी, महरछा जंघई हण्डिया सरायममरेज इलाहाबाद उ.प्र. 212401	शास.महा. कटेकल्याण जिला दन्तेवाड़ा	UR
16	श्री चन्द्रशेखर सिंग राजपूत आ श्री रामसनेही राजपूत महाराणा प्रताप उच्च माध्य.विद्यालय झाफल पो.आ.झाफल तह.थाना लोरनी जिला मुगेली छ.ग. 495115	शासकीय महाविद्यालय, मोहला	UR
17	श्री गिरजा शंकर गौतम आ श्री ऋषि कुमार गौतम, केशरिया कुज म.नं.102 कोटा रायपुर छ. ग. 492010	शास.महा. भैरमगढ़ जिला बीजापुर	UR
18	श्री यशुदेव प्रसाद पटेल आ श्री भाष्कर लाल पटेल, ग्राम पो लोहसी, ड्याया खरोद जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. 495556	शासकीय स्नातकोत्तर राजीवगांधी महाविद्यालय, अम्बिकापुर	OBC /UR
19	श्री जयराम कुरे श्री गणेश राम कुरे आ.क.16 ग्राम लटियाडीह पो आ. कुसमुल अडभार जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. 495695	शासकीय महात्मा गांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, खरसिया	SC
20	श्री छबिलाल सिदार आ श्री सालिक राम सिदार ग्राम बोन्दा पो आ.छिछौर उमरिया तह.पुसौर जिला रायगढ़ छ.ग.496440	शास.पीजी महा. जगदलपुर	ST /UR
21	श्री बिरूलाल बरगाह आ श्री दशरथ लाल बरगाह, ग्राम नगोई पो. बैमा जिला बिलासपुर छ. ग. 495006	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा	OBC /UR
22	श्री सत्यप्रकाश तिवारी आ श्री इन्द्रप्रसाद तिवारी हिन्दी विभाग इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव छ.ग. 491881	शासकीय श्रीर गैद सिंह महाविद्यालय, फ.शंजूर	UR
23	श्रीमती सरिता पाण्डेय पति श्री रमेश पाण्डेय, नवज्योति प्रेस के बगल में भीमातालाब के पास जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. 495668	शासकीय नवीन महाविद्यालय, हसंद	UR-F
24	श्रीमती करुण गायकवाड़ पति श्री आलोक गायकवाड़ वार्ड 7 मकान नं. 117 कैथर एडक्योर हॉस्पिटल के पीछे तिलक नगर बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय डॉ. भार सिंह पोर्ते महाविद्यालय, रंझा	UR-F-O
25	श्री गजेन्द्र कुमार कश्यप आ स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार कश्यप ग्राम पो लिटिया सेमरिया थाना बोरी तह. धमघा जिला दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्टनम	OBC /UR
26	श्री बालमिकी साहू आ श्री नंदकुमार साहू ग्राम सकरी,पो.ससडा तह.पलारी जिला बलौदाबाजार छ.ग. 493228	शास.महा. खरोरा जिला रायपुर	OBC/UR

8

	श्री विनय कुमार सनमानी आ श्री साधु साई ग्राम गराईबंध पोथाना फरसाबहार तह.कासाबेल जिला- जशपुर छ.ग. 496242	शासकीय स्नातकोत्तर अम्बिकापुर	राजीवगांधी महाविद्यालय,	ST
59	श्री अशोक कुमार नेताम आ श्री सुखराम नेताम, ग्राम पो केरावाही तह.माकड़ी जिला कोण्डागांव छ.ग. 494229	शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल	अरविन्द	ST
60	श्री उत्तरा कुमार सिदार आ श्री बंशीलाल सिदार ग्राम पो कांटा हरदी थाना कोतरा रोड जिला रायगढ़ छ.ग. 496001	शासकीय दुलदुला	महाविद्यालय,	ST
61	श्री दीनदयाल दिल्लीवार स्व डॉ तेजराम दिल्लीवार c/o श्री सी.के.वारसागढ़ बाजार चौक सिकोसा तह.गुण्डरदेही जिला बालोद छ.ग. 491222	शास. महाविद्यालय, जिला- बालोद	बेलोदी,	OBC-OH
62	श्री विष्णु राम ठाकुर आ श्री बालाराम ठाकुर ग्राम पो बलोदा तह.सराईपाली जिला-महासमुंद छ.ग. 493558	शासकीय महाविद्यालय, तपकरा	नवीन	ST
63	श्री रमेश कुमार खैरवार आ श्री दाता राम खैरवार ग्राम पो. धौरपुर वि.ख.तह.लुण्डा जिला सरगुजा छ.ग. 497101	शासकीय महाविद्यालय, रामानुजगंज	लरंगसाय	ST
64	श्री रघिक कुमार ध्रुव आ श्री ईशर राम ध्रुव ग्राम बोड़रा पो. डाही तह.जिला धमतरी छ.ग. 493773	शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागांव	गुंडाधुर	ST
65	श्रीमती चम्पा मरकाम पति श्री फरसूराम मरकाम ग्राम पो.तह. माकड़ी प्लॉटपारा जिला कोण्डागांव छ.ग. 494237	नवीन महाविद्यालय, फरसागांव	शासकीय	ST-F
66	श्रीमती सुसन्ना लकड़ा पति श्री शैलेन्द्र लकड़ा शिवाजीनगर दलदल सिंवनी विकटेश स्कूल के पास पो.सडडू रायपुर छ.ग. 492007	शासकीय स्व. चौबे महाविद्यालय, गंडई	स्व. देवीप्रसाद	ST-F
67	श्री जसराम नायक आ श्री देवनाथ नायक ग्राम कोटेरा,पो. सम्बलपुर तह.जौडीलोहारा जिला बालोद छ.ग. 491771	शासकीय गुप्त महाविद्यालय, बालोद	धनश्याम सिंह स्नातकोत्तर	ST
68	प्रेमा कुमारी कुजूर पति श्री अन्थेस केरकेट्टा म. नं.5/584 अयोध्यानगर रिंगरोड 2 नेहरूनगर विलासपुर छ.ग. 495001	शास.महा. जिला कवर्धा	सहसपुर लोहारा	ST-F

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारीयां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति से आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भुवनेश सादव)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
 - (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
 - (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 - (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
 - (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
 - (6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 - (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
 - (8) कलेक्टर, जिला (छ.ग.)।
 - (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1032/22/चयन/17/C दिनांक 31.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
 - (10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
 - (11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
 - (12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अदिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।
 - (13) संबंधित प्राचार्य, की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
 - (14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला (छ.ग.)।
 - (15) संबंधित सर्वथी सुगल किशोर पटेल कृपया अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण पश्चात विभाग को उपलब्ध करावें।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (16) आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

-- 0 --
:: आदेश ::

अटल नगर, दिनांक 05/07/2019

क्रमांक एफ 1-46/2012/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (भूगोल) के पद हेतु संशोधित चयन सूची से चयनित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (भूगोल) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/-(सातवें वेतनमान में संशोधित अनुसार) में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	प्रवर्ग	चयन रिमार्क
1	2	3		4
1	श्री संतकुमार बंजारे आ. श्री मोतीराम बंजारे, पीडब्ल्यू डी-84 कोतवाली सेक्टर-6 भिलाई जिला-दुर्ग छ.ग. 490006	शासकीय महाविद्यालय, गरियाबंद	SC	UR
2	श्री सुरेश कुमार साकरे आ. श्री हीरालाल साकरे ग्राम-लमानिनभांठा पो.-मुसरा, जिला-राजनांदगांव छ.ग. 491445	शासकीय महाविद्यालय, वरमकेला, जिला-रायगढ़	SC	SC

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूसिडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित को यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

M. S. J.
05/07/19

1/2/1

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियम, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 एवं 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंतिम है तथा दिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ.ग. लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर में दायर याचिकाओं(क्रमांक 591/2012 रिट पिटीशन(सी)क्रमांक 592/2012 रिट पिटीशन(सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन(सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/ निर्णय के अध्याधीन रहेंगी।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सरजी उईके)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

अटल नगर, दिनांक 05/07/2019

पृ.क्र. एफ 1-46/2012/38-1
प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के उप सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर
- (6) स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर।
- (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)।
- (8) कलेक्टर, जिला-गरियाबंद/रायगढ़ (छ.ग.)।

- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 2197 / 95 / 2010 / चयन दिनांक 29.12.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (11) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर / अंबिकापुर।
- (12) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, गरियाबंद / बरमकेला, जिला-रायगढ़ की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अन्यथा को कार्यभार ग्रहण करावें एवं शपथ पत्र की छायाप्रति विभाग को भी भेजें।
- (13) जिला कौषालय अधिकारी, जिला -गरियाबंद / रायगढ़ (छ.ग.)।
- (14) संबंधित श्री रतन कुमार खेजारे की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही शपथ पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (15) आदेश फोल्डर।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

14

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

नया रायपुर

-- 0 --

:: आदेश ::

पंजीकृत डाक से.

नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

क्रमांक 3965 /3196/2012/38-1 :: राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 2052/95/2010/21/चयन, दिनांक 29.08.2012 द्वारा सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद हेतु जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर वेतन बैंड 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6000/- में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

अ. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
1	धर्मेन्द्र सिंग गुप्ता कबाड़ी के पीछे, पुराना बाजार, दल्ली राजहरा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ पिन कोड 491228	शासकीय रानी रश्मिदेवी महाविद्यालय खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	अनारक्षित
2	मनोज कुमार साहू व्याख्याता शास.आदर्श उ.मा.वि.सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495689	शासकीय महात्मा गांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय खरसिया, जिला-रायगढ़	अनारक्षित
3	निवृत्ति जेम्स ए/15/शैलेन्द्र नगर अमेरी पोस्ट-मंगला, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़	शासकीय डॉ.भवर सिंह पोर्टे महाविद्यालय पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर	अनारक्षित महिला
4	संजय कुमार धनवानी एफ - 11, श्रीराम प्लाजा, सिटी कोतवाली के पास, गोलबाजार, बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495001	शासकीय महाविद्यालय सनावल, जिला- बलरामपुर	अनारक्षित
5	नीलम त्रिवेदी द्वारा श्री सनत कुमार त्रिवेदी ईदगाह रोड, जूनी लाईन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495001	शासकीय महाविद्यालय मरवाही, जिला- बिलासपुर	अनारक्षित महिला
6	मनोज कुमार शर्मा द्वारा श्री सीताराम शर्मा क्लब पारा पंचशील वार्ड-19 पो.महासमुंद, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़ पिन कोड- 493445	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी सिहावा, जिला-धमतरी	अनारक्षित

अ. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5.
7	डॉ. जया बाजपेयी 1302, ग्रीन गार्डन कॉलोनी, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड- 495001	शासकीय महाविद्यालय रतनपुर, जिला-बिलासपुर	अनारक्षित महिला
8	शेख तस्लीम अहमद द्वारा जनाब एम.एम.अहमद मगरपारा चौक, कब्रस्तान रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड-495001	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर जिला-नारायणपुर	अनारक्षित
9	शितेश जैन "आकाशा भवन" नोवा आफिस के पास, सीसीएन आफिस के पीछे, वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495001	शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय, कोटा, जिला-बिलासपुर	अनारक्षित
10	अरूण कुमार गुप्ता सदर बाजार सन्तेश्वरी चौक चाम्पा, जिला-जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495671	शासकीय नवीन महाविद्यालय गोबरा नवापारा जिला-रायपुर	अनारक्षित
11	चेतना सोनी गोस्वामी जनरल स्टोर के सामने, अश्वनी नगर, हनुमान नगर, रायपुर जिला-रायपुर पिन कोड- 492001	शासकीय महाविद्यालय जामगांव (आर) जिला-दुर्ग	अनारक्षित महिला
12	मदन लाल करथप ग्राम-ठरक पुर पो.कोत्री, ब्याहा-लोरमी, जिला-बिलासपुर पिन कोड- 495115	शासकीय इंदिरा गांधी महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम	अनारक्षित
13	बुद्धेश्वर प्रसाद द्वारा श्री प्रेमशंकर पाटनवार, पाटनवार गली, सीपत रोड, सरकण्डा, बिलासपुर पिन कोड-495004	शासकीय महाविद्यालय भैयाथान, जिला-सूरजपुर	अनारक्षित
14	चन्द्र भूषण मिश्रा द्वारा श्री माधव प्रसाद मिश्र एस.डी.एम.बंगला के पास, सिविल कालोनी सूरजपुर जिला-सरगुजा पिन कोड- 497239	शासकीय महाविद्यालय ओड़गी, जिला-सूरजपुर	अनारक्षित
15	एकता सनी मक्कड़ द्वारा श्री हंसराज मक्कड़ श्रीराम टॉकीज रोड, गंजपारा, जिला-महासमुंद पिन कोड-493445	शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद महाविद्यालय बागबाहरा, जिला-महासमुंद	अनारक्षित महिला
16	नीति देवांगन द्वारा श्री सनत कुमार मेहर नरसिंह मंदिर गली, कोष्टा पारा पैलेस रोड, जिला-रायगढ़ पिन कोड-496001	शासकीय संत गहिरागुरु रामेश्वर महाविद्यालय लैलुंगा, जिला-रायगढ़	अनारक्षित महिला

अ. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
17	स्मिता बर्गे द्वारा श्री अरविन्द बर्गे 174 समता कालोनी, रायपुर पिन कोड-492001	शासकीय नवीन महाविद्यालय लखन, जिला-बलौदाबाजार	अनारक्षित महिला
18	श्रीमती मोना चौहान द्वारा श्री गणपत चौहान, विजय सोप गली, फाफाडीह चौक, रायपुर पिन कोड- 492001	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा, जिला-सुरजपुर	अनारक्षित महिला
19	कमल किशोर प्रधान ग्राम-कोदाभाठ (बरदेभाटा) पोस्ट-कांकेर, तह-कांकेर, जिला कांकेर, पिन कोड- 494334	शासकीय महर्षि वाल्मिकी महाविद्यालय भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर	अनारक्षित विकलांग
20	आबिद हसन खान द्वारा डॉ.कासिब हसन खान तारबाहर, एफ. सी. आई. रोड, बिलासपुर पिन कोड-495001	शासकीय महाविद्यालय रामानुजनगर, जिला-सुरजपुर	अनारक्षित
21	गजानंद बुड़ेक द्वारा खेमराज नायक वार्ड क्र-4, जैन मंदिर के पीछे, पुराना थाना पारा, बागबाहरा, जिला-महासमुंद पिन कोड 493449	शासकीय वीरगंगा अवंतिबाई महाविद्यालय, छुईखदान, जिला-राजनांदगांव	अनारक्षित
22	जीवन प्रभाकर गौरि टिकरापारा मन्नु चौक, वार्ड क्र. 22, मकान नं. 164, बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495004	शासकीय मदनलाल शुक्ला महाविद्यालय सीपत, जिला-बिलासपुर	अनारक्षित
23	दिनेश कुमार नाग, वीरभद्र नगर, मारवाड़ी, कब्रिस्तान के पास रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 492001	शासकीय महाविद्यालय बलौदा, जिला-महासमुंद	अनारक्षित
24	अशोक वर्मा नया सरकड़ा, सीपत रोड बसंत काम्पलेक्स के सामने, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495001	शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया	अनारक्षित
25	दिनेश कुमार सोनी शाप - 51 "ए" मार्केट सेक्टर-6, भिलाईनगर दुर्ग छत्तीसगढ़ पिन कोड- 490006	शासकीय महाविद्यालय बोडला, जिला- कबीरघाम	अनारक्षित
26	रविन्द्र कुमार ध्वाइत, अखरा भांठा रोड, शिव मंदिर के पास, सक्ती, पोस्ट- सक्ती, जिला-जाजगीर चांपा छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495689	शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर, जिला-सुरजपुर	अनारक्षित
27	पवन कुमार चेतानी होम्योपैथिक क्लीनिक, डॉ.श्वेता चेतानी, सिन्धी कॉलोनी, जरहाभाटा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड- 495001	शासकीय महाविद्यालय सिलफिली, जिला-सुरजपुर	अनारक्षित

(Handwritten Signature)

1/4/1

अ. क्र.	अध्यक्षी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	घयन रिमांक
1	2	4	5
28	छन्नू लाल तारक मानस चौक, गरियाबंद जिला-रायपुर पिन कोड- 493889	शासकीय महाविद्यालय देवभोग, जिला-गरियाबंद	अनारक्षित
29	मोहन लाल वर्मा ग्राम-तरी, पोष्ट-पटेवा काया-राजिम, तह.-अभनपुर जिला-रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड- 493885	शासकीय राजीवलोचन महाविद्यालय राजिम, जिला-गरियाबंद	अनारक्षित
30	सुमीत कुमार द्वारा श्री जे.पी.अग्रवाल रिसाली सेक्टर, मिलाई जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ पिन कोड- 490006	शासकीय महाविद्यालय बोरी, जिला- दुर्ग	अनारक्षित
31	जितेन्द्र कुमार शर्मा बड़ा बाजार, मिट मार्केट के पास, मुगौली, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495334	शासकीय महाविद्यालय सरगांव, जिला-मुगौली	अनारक्षित
32	राधेश्याम साहू द्वारा श्री खेमलाल देवांगन पुराना बस स्टैण्ड कुरुद, जिला-धमतरी छत्तीसगढ़ पिन कोड- 493863	शासकीय राजीव गांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय लोरभी जिला-मुगौली	अनारक्षित
33	डॉ. मंजुलता साव द्वारा डॉ.जे.एल.साहू जवाहर नगर, क्या.नं. 88, धमधा रोड दुर्ग, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 491001	शासकीय महाविद्यालय बोरी, जिला-दुर्ग	अनारक्षित महिला
34	अमित कुमार तिवारी द्वारा श्री हरिनारायण तिवारी, 5 सिविल लाईन, सिधी धर्मशाला के पीछे, सागर, (मध्यप्रदेश) पिन कोड- 470001	शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय, कोण्डागांव, जिला- कोण्डागांव	अनारक्षित
35	भृगेश कुमार ग्राम-झगरहा पोस्ट-रिसदी जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन कोड- 495683	शासकीय महाविद्यालय, दीपका, जिला-कोरबा	अ.पि.वर्ग
36	भुवनेश्वर बुनियाद नगर, रेल्वे क्रासिंग के पास, जगदीश सायकल स्टोर्स के पीछे, भनपुरी, रायपुर जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 493221	शासकीय महाविद्यालय पण्डातराई, जिला - कबीरधाम	अ.पि.वर्ग


(Handwritten Signature)

11/8/11

अ. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	व्ययन रिमाक
1	2	4	5
70	प्रेम प्रकाश कुपूर पुलिस चौकी नेता, पो.आ.-जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तागढ़, पिन कोड-496668	शासकीय महाविद्यालय राजपुर, जिला- बलरामपुर	अनु. जनजाति
71	कुं अंजुलता अनंत द्वारा-श्री द्वारिका प्रसाद, जायसवाल, पुरान बस स्टैंड पाली, जिला-कोरबा, छत्तागढ़	शासकीय लोचन प्रसाद घाण्डेय महाविद्यालय सारंगढ़, जिला-रवणगढ़	अनु.जाति महिला
72	सरिता देवी सेठ बसंत लाल मार्ग, महुंर कोरियर के पास, अम्बिकापुर, सरगुजा, जिला-सरगुजा, छत्तागढ़ पिन कोड-497001	शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर, जिला-सरगुजा	अनु. जनजाति महिला
73	अनुराधा दीवान हैनूनगर, कोडिया हाऊस के पीछे, बिलासपुर, छत्तागढ़ पिन कोड-495004	शासकीय महाविद्यालय उबर, जिला-जांजगीर-चांपा	अनु. जनजाति महिला
74	श्रीमती विनीता गौतम द्वारा-श्रीमती रेशम देवी कुरें, कमला नेहरू कन्या छात्रावास, शहीद चौक, घाटापारा, बिलासपुर, छत्तागढ़, पिन कोड-495001	शासकीय कन्या महाविद्यालय बेमेतरा, जिला-बेमेतरा	अनु.जाति महिला

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियुक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र

- फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी, तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियों अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
 8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 के अध्याधीन रहेंगे।
 9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छोगो सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
 10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
 11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।
 12. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छोगो लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
 तथा आदेशानुसार

 (एसओकेओचौधरी)
 उपसचिव
 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
 नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

पृ. क्रमांक 3966 / 2012/38-1
 प्रतिलिपि :-

- ✓(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- (3) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- (4) विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- ✓(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।

//10//

- (6) कलेक्टर, जिला-..... (छ.ग.)
की ओर कृपया सूचनार्थ अग्रोपित।
- (7) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक
2052/95/2010/21/चयन, दिनांक 29.08.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- ✓(8) आयुक्त, उच्च शिक्षा, शासकीय नार्गजुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर
रायपुर छ.ग।
- (9) संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर छोगा की ओर अग्रोपित कर आदेशानुसार सूचित
है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- ✓(10) अपर संचालक, उच्च शिक्षा, शासकीय नार्गजुन स्नातकोत्तर
विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर छ.ग।
- (11) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अबिकापुर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोपित।
- (12) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय..... की
ओर अग्रोपित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित
के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर
स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के
उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
- ✓(13) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला-.....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोपित।
- (14) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय.....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोपित।
- (15) आदेश फोल्डर।


उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग